

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2(ग)(1) अलेसे-1/645

दिनांक: 31.08.2018

आदेश संख्या: 307/2018-19

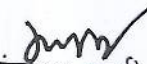
राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 29 (2ए) के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 की रिक्तियों पर विचार हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 04.08.2018 की अभिशंषा के आधार पर निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11, का चयन उक्त नियमों के अन्तर्गत सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 के रिक्त पदों पर वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर किया जाकर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 पद के लेवल L-12 में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है :-

क्र. सं.	लिक नम्बर	मेरिट संख्या	नाम (सर्वश्री)	वर्ग	जन्मतिथि	रिक्ति की दिनांक
1	9139	45/2008	सत्य प्रकाश,	SC	01.01.1985	01/04/2018
2	9315	001/2011	ललितकिशोर गोयल		07.12.1979	01/04/2018
3	9592	292/2011	राकेश कुमार मीणा	ST	18.06.1986	01/04/2018
4	4175	197/88	कालूराम सुथार		27.05.1966	01/04/2018
5	2453	283/88	गिराज प्रसाद गुप्ता		02.09.1967	01/04/2018
6	4946	296/88	माणकचन्द जैन		19.11.1967	01/04/2018
7	4990	318/88	बनवारी लाल सुनार		18.10.1965	01/04/2018
8	5524	327/88	श्रीकिशन शर्मा		05.07.1963	01/04/2018
9	4996	333/88	विरजू सिंह शेखावत		01.05.1965	01/04/2018
10	5105	356/88	बाबूलाल		27.10.1961	01/04/2018
11	4748	370/88	पवनकुमार शर्मा		01.03.1964	01/04/2018
12	4113	378/88	जगदीशप्रसाद गुप्ता		16.05.1966	01/04/2018
13	5803	381/88	योगेश कुमार शर्मा		10.08.1961	01/04/2018
14	5115	382/88	भगवान स्वरूप मण्डोवरा		05.04.1963	01/04/2018

सेवानिवृत्ति, मृत्यु एवं स्वै. सेवानिवृत्ति के प्रकरणों के अतिरिक्त उपरोक्त सभी सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 पदोन्नति के फलस्वरूप अपने वर्तमान पदों पर इन पदों को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकतानुसार (सहायक लेखाधिकारी-ग्रेड 11) क्रमोन्नत/कमावनत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे। पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।

पदोन्नत अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता (inter-se seniority) यथावत रहेगी। उक्त आदेश वित्त (राजस्व) विभाग राज0 जयपुर के पत्र क्रमांक प.2(15) वित्त/राजस्व/10 जयपुर, दिनांक 14.08.2018 से प्राप्त स्वीकृति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

विभागीय आदेश संख्या 193/18-19 दिनांक 14.08.2018 में क्रम संख्या 453 पर कॉलम संख्या 4 में अंकित नाम कैलाश चन्द रांठी के स्थान पर कैलाश चन्द रांठा पड़ा जावे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2(ग)(1) अलेसे- I/645

दिनांक: 31.08.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज0 जयपुर।
3. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
4. श्री सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, कार्यालय
..को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यग्रहण कर सूचना अविलम्ब फैक्स अथवा विभागीय ई-मेल
aaol.dta@rajasthan.gov.in पर इस विभाग को भिजवायें।
5. उप निदेशक (एसीपी) को वेबसाइट पर अपलोड एवं पीआईएस में इन्द्राज हेतु।
6. अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक।
7. अलेसे-11/डीपीसी शाखा/ए.सी.आर. शाखा/जांच शाखा/गार्ड फाईल निजी पत्रावली।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)